एडीजी परिपत्र संख्या- 3 /2017

चन्द्र प्रकाश
आई0पी0एस0

अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध)
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः जुलाई 3, 2017

विषय : विवेचना स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया

आप अवगत होंगे कि पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में आपका प्रमुख दायित्व विवेचनाओं का सही निस्तारण सुनिश्चित कराना है। विवेचनाओं के बार-बार स्थानान्तरण से इनके निस्तारण में समय लगने, अनेक विवादों के जन्म लेने तथा विवेचकों द्वारा मनमाने ढ़ंग से विवेचना किये जाने की प्रवृत्ति को बल मिलता है। विवेचनाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से परिपत्र संख्या : 27/2014 दिनांक 10.05.2014 के माध्यम से आवश्यक विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिसमें मुख्यतः आरोपी पक्ष के अनुरोध पर साधारणतया विवेचना स्थानान्तरित न किये जाने, विवेचना स्थानान्तरण का मुखर आदेश दिये जाने, ऐसे आदेशों से मुख्यालय/जोनल कार्यालय/परिक्षेत्रीय कार्यालय को अवगत कराने, स्थानान्तरित विवेचनाओं का निकट पर्यवेक्षण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराने सम्बन्धी निर्देश सम्मिलित हैं।

मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के थानों में पंजीकृत अभियोगों की विवेचनायें आरोपी पक्ष के अनुरोध पर रूटीन में स्थानान्तरित की जा रही हैं, जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नही किया जा रहा है। सामान्यतः आरोपित पक्ष के कथन पर विवेचनायें स्थानान्तरित न की जाये।

मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि पूर्व में निर्गत उक्त परिपत्र का भली-भाँति अध्ययन कर लें एवं इस सम्बन्ध में परिपत्र में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

3/7/17
(चन्द्र प्रकाश)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
2 अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
3 अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4 समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5 समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।